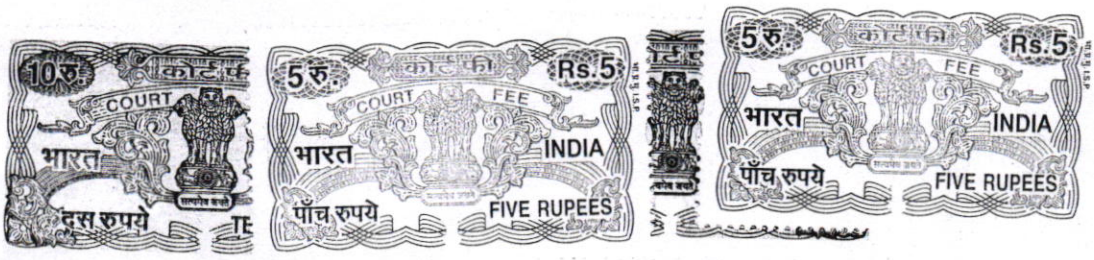

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

राजस्व निग.क./ II/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2017/4463

कुन्दन सिंह वर्मा आ. स्व. श्री पतिराम जी वर्मा आयु 46 वर्ष
व्यवसाय कृषि एवं व्यापार निवासी लुनिया मौहल्ला
रेल्वे स्टेशन रोड सीहोर ....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र. शासन ....रेस्पोन्डेन्ट

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50म.प्र. भू-राजस्व संहिता
विरुद्ध सीमांकन कार्यवाही दिनांक 23.06.2017
प्रकरण कमांक 2/अ-68/2016-17 कुन्दन सिंह विरुद्ध शासन
पारित न्यायालय तहसीलदार (नजूल) सीहोर

(76)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

II / निगरानी / सीहोर / भू0रा0 / 2017 / 4463

कुन्दनसिंह वर्मा विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–7–2018	आवेदक अभिभाषक श्री संजय नायक उपस्थित। आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक ने तहसीलदार नजूल के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम छावनी सीहोर स्थित भूमि शीट नं0 56 भूखण्ड नंबं 17/1 में रकबा 40X45=1800 व0फु0 म0प्र0 शासन की खुली भूमि पर आवेदक द्वारा तलघर हेतु 5 फीट का गढ्ढा खोदकर अतिकमण कर लिया है। नजूल तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर स्थगन आदेश जारी किया। दिनांक 23–6–2017 को अधीक्षक भू–अभिलेख सीहोर ने अधीक्षक ने अपर कलेक्टर सीहोर को एक प्रतिवेदन प्रेषित किया जिसमें सीमांकन करने के उपरांत सर्वे कमांक 362 रकबा 0.312 हे0 के भाग पर 0.014 है पर आवेदक का अतिकमण पाया। इसी सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 23–6–2017 के यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने सर्वे कमांक 363/3 रकवा 0.243 है में से 0.029 हे0 भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय करने के उपरांत नायब तहसीलदार सीहोर के प्रकरण कमांक 01/अ–12/15–16 में प्रतिवेदित संलग्न राजस्व निरीक्षक/पटवारी के हस्ताक्षरशुदा पंचानाम दिनांक 23–12–2016 से सीमांकन कराया था। उक्त सीमांकन में	

नजूल शीट कमांक 56 भू–खण्ड कमांक 17/1 में आवेदक का किसी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं पाया गया था। दिनांक 23–12–2016 के प्रतिवेदित आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है। जहां तक राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन पर पुनः सीमांकन का प्रश्न है कि आवेदक को उक्त सीमांकन के समय किसी प्रकार की कोई पूर्व सूचना प्रदान नहीं की गई है, जो सूचना प्रकरण में संलग्न है उसपर आवेदक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता कि आवेदक को अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा किये गये सीमांकन की जानकारी थी, जबकि आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था। बिना हितबद्ध व्यक्ति को सूचना एवं सुनवाई के पूर्व में हुये सीमांकन को अवैध घोषित करके आवेदक को अतिकणकारी मानना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। अभिलेख में संलग्न एक अन्य प्रतिवेदन दिनांक 24–3–2017 जो कि राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा तहसीलदार नजूल को दिया गया है जिसमें राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेन में उल्लिखित किया है कि अनावेदक (कुन्दनसिंह वर्मा पुत्र स्व0 पतिराम) का शासकीय भूमि पर अतिकमण नहीं है, जिसके समर्थन में पंचनामा भी लगा है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में संलग्न तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सीहोर के व्यवाहर वाद कमांक 216ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 16–2–2017 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय से भी आवेदक की भूमि उसके द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य पर हस्तक्षेप न करने के आदेश दिये है। विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश पर भी किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा सर्वे नं0 363/3 रजिस्ट्री से खरीदा है तथा उसी पर निर्माण इत्यादि का कार्य किया जा रहा है, अतिकमण किया जाना नहीं पाया जाता तथा मान0 सिविल न्यायालय द्वारा भी उसके निर्माण में हस्तक्षेप नहीं किये जाने बावत निर्देश होने से निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीक्षक भू–अभिलेख सीहोर का सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 23–6–2017 निरस्त किया जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

23/7/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य